



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-14.01.2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व 10000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०- 702/2017 धारा 304 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रंजीत आदिवासी पुत्र अंगनू आदिवासी निवासी राजनाथ का ईंट भट्टा परसूपुर थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी, स्थाई पता- तेलिया, रायडीह गुमला, झारखण्ड को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-13.01.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-14 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 304(2) भादवि में 07 वर्ष के कारावास एवं 10000/- रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी